

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्मिक का विवरण:-


क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्रीमती सरोज श्रीवास्तव अध्यापक लेवल-2 (सा.वि.)	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेर, जिला-जयपुर	27.12.1962	यू.एस.ए., दिनांक- 17.05.2020 से 28.06.2020 तक (43 दिवस)
2	श्रीमती मंजू गुप्ता अध्यापक लेवल-2 (हिन्दी)	शहीद चमकौर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डबलीराठान, जिला-हनुमानगढ़	21.09.1971	सिंगापुर, दिनांक- 20.05.2020 से 23.06.2020 तक (35 दिवस)
3	श्री सुरमुख सिंह अध्यापक लेवल-2 (सा.वि.)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रतनपुरा बरानी, पदमपुर, जिला-श्रीगंगानगर	15.05.1965	हेमिल्टन(कनाडा), दिनांक- 18.05.2020 से 17.06.2020 तक (31 दिवस)
4	श्रीमती सरला शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान)	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, भूणास (भीलवाड़ा)	12.10.1967	इंग्लैण्ड एवं यूरोप दिनांक- 24.05.2020 से 08.06.2020 तक (16 दिवस)
5	श्रीमती सुशील कौर अध्यापक लेवल-2	डॉ० पदमचन्द बिलमकंवर गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर	17.03.1967	लन्दन(यू.के.) दिनांक- 13.05.2020 से 28.06.2020 तक (47 दिवस)
6	श्रीमती बृजेश कुमारी वरिष्ठ अध्यापक(संस्कृत)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोनेर(सांगानेर) जयपुर	02.07.1965	यू.एस.ए. दिनांक- 18.05.2020 से 21.06.2020 तक (35 दिवस)
7	सुश्री दिव्या वाट्स वरिष्ठ अध्यापक(अंग्रेजी)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरला (श्रीगंगानगर)	29.12.1991	मेदुकुशी आइलैण्ड(मालदीवस) दिनांक- 04.03.2020 से 11.03.2020 तक (08 दिवस)

शर्त :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।

- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/मूल/2020/1122

दिनांक-
27-02-2020

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा), अजमेर संभाग, अजमेर/जयपुर संभाग, जयपुर।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/हनुमानगढ़/जोधपुर।
- 3- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पदमपुर/श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 5- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 6- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर